The 806th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 30th June, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

- 1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
- 2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
- 3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
- 4. Dr. Sunita Singh, Member.
- 5. Dr. Sushil Manderia, Member.
- 6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. <u>Case No 11324/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State</u> <u>Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road,</u> <u>Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance</u> <u>for Bhadaura Sand Quarry in an area of 3.50 ha. (52500 cum per year) (Khasra</u> <u>No. 181), Village-Bhadaura, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [472429]</u> <u>(EIA) (Query Reply)</u>

Earlier this case was discussed in 755th SEAC Meeting dated 21-05-2024 wherein query was raised.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि संबंधित खदान नवीन खदान है, पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि खदान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है ।

अतः समिति द्वारा संबंधित खदान के परियोजना प्रस्तावक को ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपरांत अवगत कराया गया कि संबंधित खदान नवीन खदान है, पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि खदान के संचालन हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है ।

अतः समिति द्वारा संबंधित खदान के परियोजना प्रस्तावक को ग्राम पंचायत की अनापत्ति एवं ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. जारी किया गया है।

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/06/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पुनीत वाडिया, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार के द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय ग्राम पंचायत भदौरा क्रमांक–02, जनपद पंचायत बढ़वारा, जिला–कटनी की अनापत्ति/ठहराव प्रस्ताव दिनांक 04/04/2025 प्रस्तुत किया।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में एक रोडब्रिज 77 मी. की दूरी पर स्थित है सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार रोडब्रिज के दोनो ओर निर्धारित दूरी छोड़ने पर लीज क्षेत्र का मात्र 114 मी. क्षेत्र उपलब्ध होता है जो कि पूर्णतः जल मग्न है अतः खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। इस संदर्भ में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया ।

2. <u>Case No P2/1504/2025 mohammad rafiuddin, Ward no. 08, Plot no. 205, in front of Masjid, Sleemnabad, Katni. M. P. 483440</u> Prior Environment Clearance for Chargawamal Basalt Stone Quarry Lease Mine, AREA – 2.040 HECTARES, Production-54696 m³/year MANDALA. KHASRA NO. 35/2 Village-CHARGAON Tehsil- Narayanganj District Mandla (M.P.). [533506] (B2)

प्रकरण आज सेक की 806वीं बैठक दिनांक 30/06/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा । 3. <u>Case No P2/1460/2025 PURAN CHAND SHIVHARE, 73, F.C.I. GODAM KE</u> <u>SAAMNE, PALI ROAD SHEOPUR</u> Prior Environment Clearance for <u>Kailor Crusher Stone mine for making Boulder, Gitti & M-sand , Kailor</u> <u>Crusher Stone mine for making Boulder, Gitti & M-sand through Crusher of</u> <u>2.00 Hectare Area, Khasra No. 876/2 in Village – Kailor, Tehsil – Karahal,</u> <u>District- Sheopur (M.P.) [521236] (Fresh- B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 30 / 06 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक Shri Puran Chand Shivhare एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Amar Yadav, M/s ASERIES ENVIROTEK INDIA PVT. LTD., Lucknow (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Puran Chand Shivhare, 73, F.C.I. Godam ke Saamne, Pali Road	
परियोजना / कम्पनी	Sheopur, Distt Sheopur (M.P.) – 476337. Prior Environment Clearance	
,	for Kailor Crusher Stone mine for making Boulder, Gitti & M-sand through	
/ संस्थान का नाम व पता	Crusher of 2.00 Hectare, Stone Maximum Production – 20,000 Cubic Meter	
	(Boulder-3,000, Gitti- 15,000 m ³ & M-Sand -2,000 m ³) Lease Area- 2.00 Ha.	
	, Khasra No. 876/2 in Village – Kailor, Tehsil – Karahal, District- Sheopur	
	(M.P.). <u>SIA/MP/MIN/521236/2025.</u>	
परियोजना का खसरा नं.	खसरा नं.— 876/2, एरिया — 2.00 ha., शासकीय भूमि	
/ लीज क्षेत्रफल		
परियोजना स्थल	Village – Kailor, Tehsil – Karahal, District- Sheopur (M.P.)	
Description of Project	Kailor Crusher Stone mine for making Boulder, Gitti & M-sand through	
	Crusher of 2.00 Hectare Area, Khasra No. 876/2 in Village – Kailor, Tehsil –	
	Karahal, District- Sheopur (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के पत्र क0. 9302	
	दिनांक 31 / 07 / 2024.	
परियोजना की श्रेणी	बी—2.	
जल / वायु सम्मति	PCB ID: 169101, Consent No:CTE-129828, CTE issued date 03/05/2025.	
खनन् कार्य	Controlled Blasting techniques, Muffle Blasting, use of Sandbags,	
ब्लास्टिंग⁄रॉक ब्रेकर		
केशर प्लान्ट / एमसेण्ड	परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट है, परन्तु	
प्लान्ट की स्थिति	एमसेण्ड प्लान्ट लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	NA.	
विवरण (यदि लागू हो)		
उत्पादन क्षमता	Stone Maximum Production – 20,000 Cubic Meter/year (Boulder - 3,000	
	Cubic Meter/year, Gitti- 15,000 Cubic Meter/year & M-Sand -2,000 Cubic Meter/year).	
परियोजना के 500 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल	
की परिधि में संचालित	प्रमाण—पत्र कमांक 13658 दिनांक 28/11/2024 अनुसार 500 मीटर	
/ स्वीकृत अन्य खदानों	की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है जिनका कुल रकबा	
/ (14/2)	का पाराध में अन्य काइ खदान स्वाकृत नहां है जिनकी कुल रक्षी	

का विवरण।	2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल		
डीएफओ की एनओसी	प्रमाण—पत्र क्रमांक 13658 दिनांक 28/11/2024 अनुसार 10		
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव		
	जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
	वन सीमा की दूरी 553 मी. है।		
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल		
राजस्व जानकारी	प्रमाण—पत्र क्रमांक 13658 दिनांक 28 / 11 / 2024 अनुसार 500 मीटर		
	की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि संबंधी		
	जानकारी नही है।		
	100 मी. दूर नाला स्थित है।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत – कैलोर, जिला – श्योपुर का ठहराव प्रस्ताव क0. 11		
पंचायत / नगर परिषद्	दिनांक 08/03/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।		
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	No Tree Existed within lease area .		
की वर्तमान स्थिति			
	उत्तर पूर्व दिशा—स्कूल 445 मी. एवं पक्का रोड 455 मी.		
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण दिशा— प्राकृतिक नाला १०५ मी.		
स्थिति (यदि सेटबैक			
आवश्यक हो)			
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के पत्र क्रमांक 618		
स्थिति	दिनांक 14 / 01 / 2025 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का		
	विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक–ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone Maximum Production – 20,000 Cubic Meter/year (Boulder - 3,000 Cubic Meter/year, Gitti- 15,000 Cubic Meter/year & M-Sand -2,000 Cubic Meter/year).
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.99 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
स्थानीय ग्राम की शाला की छत की मरम्मत एवं शाला की दीवालों पर पर्यावरण ⁄ विज्ञान से संबंधित वॉल पेंटिंग का कार्य	1,00,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 990 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है

4. <u>Case No P2/1461/2025 BALAJI STONE CRUSHER, 62, Near Railway Crossing,</u> <u>Bypass Road, Ward No. 8, Sheopur (M.P.) Prior Environment Clearance for</u> <u>Daula Ka Pura Stone mine for making Gitti, Boulder & M-sand, Daula Ka Pura</u> <u>Stone mine for making Gitti, Boulder & M-sand through Crusher of 4.00</u> <u>Hectare Area, Khasra No. 213 in Village – Daula Ka Pura, Tehsil – Sheopur,</u> <u>District- Sheopur (M.P.) [518567] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 30 / 06 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vishnu Singhal एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Amar Yadav, M/s. ASERIES ENVIROTEK INDIA PVT. LTD., Lucknow(U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	 Shri VISHNU SINGHAL, Partner M/s BALAJI STONE CRUSHER, 62, Near Railway Crossing, Bypass Road, Ward No. 8, Sheopur (M.P.) – 476337. Prior Environment Clearance for Daula Ka Pura Stone mine for making Gitti, Boulder & M-sand through Crusher of 4.00 Hectare Area (Govt. land), Khasra No. – 213(Govt.Land). in Village – Daula Ka Pura, Tehsil – Sheopur, District- Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 1,00,001 Cubic Meter) (Boulder – 5,001, Gitti- 35,000 m3 & M-Sand -60,000 m3). SIA/MP/MIN/518567/2025. 	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 213, एरिया — 4.00 ha., शासकीय भूमि	
्र लोज दात्रकल परियोजना स्थल	Village – Daula Ka Pura, Tehsil – Sheopur, District- Sheopur (M.P.)	
Description of Project	Daula Ka Pura Stone mine for making Gitti, Boulder & M-sand through Crusher of 4.00 Hectare Area, Khasra No. 213 in Village – Daula Ka Pura, Tehsil – Sheopur, District- Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 1,00,001 Cubic Meter) (Boulder-5,001, Gitti- 35,000 m3 & M-Sand - 60,000 m3)	
सैंधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के पत्र क0. 8032 दिनांक 28/06/2024.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
जल/वायु सम्मति	PCB ID: 169092, Consent No:CTE-129830, CTE issued date 03/05/2025.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग⁄रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting,	
केशर प्लान्ट/एमसेण्ड प्लान्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के अनुसार क्रेशर प्लान्ट एवं एमसेण्ड प्लान्ट लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	NA.	

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 806thMEETING

विवरण (यदि लागू हो)			
उत्पादन क्षमता	Stone Mining - 1,00,001 Cubic Meter/Year (Boulder -5,001 m ³ , Gitti- 35,000 m ³ & M-Sand -60,000 m ³).		
परियोजना के 500 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल		
की परिधि में संचालित	प्रमाण–पत्र क्रमांक 9171 दिनांक 25/07/2024 अनुसार 500		
/स्वीकृत अन्य खदानों	मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है जिनका		
का विवरण।	कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल		
डीएफओ की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 9171 दिनांक 25/07/2024 अनुसार 10		
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल		
राजस्व जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 9171 दिनांक 25/07/2024 अनुसार 500 मीटर		
	की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि		
	संबंधी जानकारी नही है।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत – गुनरावदा, जिला – श्योपुर का ठहराव प्रस्ताव		
पंचायत / नगर परिषद्	क0. 05 दिनांक 27/01/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया		
	गया है।		
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	Tree Existed within lease area -No		
की वर्तमान स्थिति			
प्रस्तावित खदान की	ो उत्तर पश्चिम दिशा– कच्चा रास्ता 123 मी.		
गूगल इमेज अनुसार	र पर्व-पश्चिम दिशा- नदी १६० मी		
स्थिति (यदि सेटबैक			
आवश्यक हो)			
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल		
स्थिति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 9171 दिनांक 25/07/2024 अनुसार अवगत		
	कराया कि इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण		
	रिपोर्ट में जोड लिया जावेगा।		
पंचायत / नगर परिषद् प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	क0. 05 दिनांक 27/01/2024 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। Tree Existed within lease area -No उत्तर पश्चिम दिशा– कच्चा रास्ता 123 मी. पूर्व–पश्चिम दिशा– नदी 160 मी. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9171 दिनांक 25/07/2024 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण		

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में पेड़ नहीं हैं। पर्यावरण सलाहकार ने यह भी बताया कि पूर्व–पश्चिम दिशा में एक नदी 160 मी. की दूरी पर है अतः 40 मी. तक का त्रिकोणाकार क्षेत्र गैर खनन (0.33 हे.) के रूप में छोड़ा गया है तथा पूर्व दिशा में 80 मी. की दूरी पर एक प्राकृतिक नाला स्थित हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

30th June , 2025 STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 806thMEETING

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone Mining 1,00,001 Cubic Meter/Year (Boulder -5,001 m³, Gitti- 35,000 m³ & M-Sand -60,000 m³). पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.76 1.
- 2. लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य 3. आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
शासकीय स्कूल दौला का पुरा में 3 kw का एक सोलर पैनल, फर्निचर (10 बेंच एवं डेस्क) दो अलमारी सइंस पेन्टिंग / नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जागरूकत कार्यक्रम	
य	प्रोग 1,50,000

वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है। 4.

5. <u>Case No P2/1462/2025 Nishant Sharma, H. No. 77 Sawan Nagar, Lalghati,</u> <u>District - Bhoapl M. P. Prior Environment Clearance for Gitti - 25,697.5 Cubic</u> <u>Meter Per Year, M-sand = 25,697.5 Cubic Meter Per Year, Lease Area - 3.490</u> <u>Ha. at Survey No. 177 & 178, in Village Kuthar, Tehsil Huzur, District Bhopal,</u> State M.P. [532407] (Fresh-B2).

The proposed mine is of prior environmental clearance under category B-2, in which today on 30/06/2025 the project proponent's Environmental Consultant Shri Ram Milan Pathak, from M/s.Visiontech Environment and Survey Works Pvt. Ltd., Bhopal, appeared and made a presentation before the committee.

Project Details	Documents submitted by the project proponent		
Name and address of the project proponent	Nishant Sharma, S/o Shri Murari Sharma R/O. – H. No. 77, Sawan Nagar, Lalghati, District – Bhopal (M.P.)		
Khasra No. Area (Government/Priv ate)	177 & 178, Government	3.490 ha	
Location lease approval Blasting/Rock	Village – Kuthar, Tehsil – Huzur, District – Bhopal, (M.P.) Issued vide letter no. kramank/705/Khanij/2025, Bhopal, Dated 10/03/2025. Blasting proposed		
Breaker case status DEIAA E.C.	Fresh case NA		
details Crusher/M-sand Plant status	Not proposed within lease area		
Production capacity	Gitti = 25,697.5 Cubic Meter Per Year, M-sand = 25,697.5 Cubic Meter Per Year,		
Other mines within 500 meter radius	∂		
Distance from National Park/Sanctuary/S EZ to Core/Biodiversity Buffer	According to the Ekal certificate number 1066 dated 25/04/2023 of the Office of the Collector (Mineral Branch) District Bhopal there is no National Park/Sanctuary/Eco Sensitive Zone Biodiversity area located within the		
Situation of forest area at a distance of 250 meters from the proposed site	Collector (Mineral Branch) District Bhopal there is no forest area within the radius of 250 meters.		

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 806thMEETING

Tehsildar's no	As per Ekal certificate No. 1066 dated 25/04/2023 of the office of Collector	
objection	(Mineral Branch) District Bhopal within a radius of 500 meters there is no	
	human settlement, educational institution, hospital, archaeological heritage,	
	monument of national importance, railway line / public building / cremation	
	ground. National Highway / sensitive areas such as: radio station,	
	Doordarshan, airport, defense institute and aquatic body / river / pond / dam /	
	stop dam / canal / rural unpaved / paved road / drain.	
NOC from Gram	As per the resolution proposal number 01 dated 25/01/2025 of Gram	
Sabha/Gram	Panchayat Kuthar, District Bhopal the Panchayat has no objection to the	
Panchayat	mining work at the proposed site.	
Present status of	Tree existed within lease area -Yes	
trees at the		
proposed site		
Current status of	South- Kachha Road- 75 m	
the proposed site		
as per Google	West- Kachha Road- 07 m	
Image		
Status of the	According to the Ekal certificate number 1066 dated 25/04/2023 of the	
proposed mine in	Office of the Collector (Mineral Branch) District Bhopal the lease details	
the district survey	shall be included in the DSR.	
report		

कुठार स्टोन / गिट्टी, एम—सेण्ड एवं मुरूम क्वॉरी का कुल क्षेत्रफल 3.490 हेक्टेयर है खदान क्षेत्र में कुल 27 पेड़ है जिसमे 12 नीम, 10 पलाश, 05 आम, के पेड़ है, जिसमे 17 पेड़ (जिसमे 05 नीम, 07 पलाश, 05 आम) खदान क्षेत्र के 7.5 मीटर बेरीअर जोन क्षेत्र में है जिन्हे काटा नहीं जावेगा एवं 07 नीम के पेड़ खदान क्षेत्र के मध्य में है जिन्हे सुरक्षित रखा जावेगा एवं खनन क्षेत्र के मध्य में 0.10 हे. क्षेत्र गैर—खनन योग्य क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावेगा जिससे पेड़ों को कोई नुकसान न हो

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti = 25,697.5 Cubic Meter Per Year, M-sand - 25,697.5 Cubic Meter Per Year,
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.80 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
सी.ई.आर. गतिविधि के अंतर्गत ग्राम कुठार के शासकीय प्राथमिक स्कूल में विज्ञान मॉडल प्रदाय किये जावेंगे एवं विज्ञान शिक्षा प्रचार संबंधी वॉल — पेंटिंग बनवाई जायेंगी। एवं जल के संरक्षण एवं बचाव हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	1,40,000
योग	1,40,000

 वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

- 6. <u>Case No.11218/2024 Smt. Annapurna Thakur, Lessee, R/o Near Church, Ganga</u> <u>Ashram, District-Sehore (MP)-466001 Prior Environment Clearance for</u> <u>Hasnabad Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (27930 cum per year) (Khasra No.</u> <u>56/1), Village-Hasnabad, Tehsil-Sehore, District-Sehore (MP) (Referred Back)</u> <u>Parivesh 1.0</u>
 - Earlier this case was discussed in 745th SEAC Meeting dated 30-04-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025

883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति (SEAC) की 745 वीं बैठक दिनांक 30.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा उपरांत प्रधिकरण (SEIAA) की 854-B बैठक दिनांक 27.05.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रस्तावित खदान से 85 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में मछली पालन फार्म होने के दृष्टिगत मान. ए.जी.टी. के ओ.ए. कमांक 304/2019 के अंतर्गत प्रकरण में ब्लास्टिंग अनुसार निर्धारित दूरी (200 मीटर) छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया गया। SEAC की 766 वीं बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण पर की गई अनुशंसा अनुसार लेख किया गया कि मान. ए.जी.टी. के ओ.ए. कमांक 304/2019 में मछली पालन फार्म का उल्लेख नहीं है। अतः SEAC समिति की पूर्व अनुशंसा को यथावत रखा जाये ।

मान. ए.जी.टी. के ओ.ए. क्रमांक 304/2019 में लेख अनुसार :-

Residential/Public buildings, Inhabited sites, Protected monuments, Heritage sites, National/ State Highway, District roads, Public roads, Railway line/area, Ropeway or Ropeway trestle or station, Bridges, Dams, Reservoirs, River, Canals, Lakes or Tanks, or any other locations to be considered by States..

उक्त मापदण्ड में Lakes or Tanks शब्द का उल्लेख है एवं मछली पालन फार्म भी मानव निर्मित टैंक के अनुरूप ही है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTESOF30th June , 2025806th MEETING00

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/06/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया, समीप के मानव निर्मित tank / pond की जानकारी है, मछली पालन नहीं होने की जानकारी दी गई साथ ही इस संबंध में कोई लिखित आपत्ति भी प्राप्त नहीं है। अतः समिति पूर्व में सेक की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा को यथावत रखती है।

- 7. <u>Case No. 10306/2023 Shri Varun Tiwari, Lessee, R/o Singrauli, Tehsil &</u> <u>District-Singrauli (MP)-486889, Prior Environment Clearance for Chatri Soil</u> <u>Quarry in an area of 1.76 ha. (3292 cum per year) (Khasra No. 1711, 1712,</u> <u>1718), Village-Chatari, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)</u> [435010] [DEIAA] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0
 - Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025

883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेत् अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नान्सार पाया गया :-

SEAC द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हु। है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन जापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 30/06/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई तनवीर, मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और समिति के समक्ष प्रस्तुत हुये एवं उनके द्वारा खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हु है के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 08/10/2016 जारी हुई है एंव खनन का कार्य पूर्व में हुआ है, उनके परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में खनन कार्य बैरियर जोनएवं बैरियर जोन के बाहर भी किया गया है। पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण में समुचित कार्यवाही एवं जवाब के लिये समय देने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा खनन कार्य बैरियर जोन एवं बैरियर जोन के बाहर भी पाया गया है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस प्रकरण में जिला कलेक्टर से प्रमाणित जानकारी ली जाये, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण विचार किया जावेगा।

8. <u>Case No 11106/2023 SHRI RAJIV SHARMA, R/o Village & Tehsil- Pathar,</u> <u>District- Vidisha (MP)-464337 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine</u> <u>in an area of 3.13 ha. (8640 cum per year) (Khasra No. 11/1, 7/4), Village-</u> <u>Ramgarh, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP) [435346] [DEIAA] Reffered</u> <u>Back</u>

- सेक की 741वीं बैठक 25 / 04 / 2024 प्रकरण को सिया को अनुशंसित किया गया था
- सिया द्वारा 850वीं बैठक में उक्त प्रकरण को सेक को रिफर्डबेक किया है।
- Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 and sent to SEIAA for further guidance.
- The case Referred Back to SEAC in 883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025.
- Hence, this case is again scheduled for presentation in this meeting.

883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नान्सार लेख किया गया है :-

"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में 🛛 वेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि-अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07-05-2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत 🗅 रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13-09-2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेत् सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार MoEF&CC द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में DEIAA द्वारा दिनांक 13.09.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किया जाना था, चूँकि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के D देश के परिपालन में भारत सरकार MoEF&CC द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार DEIAA द्वारा दिनांक 11.12.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः परीक्षण किये जाने का लेख है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेत् SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदान्सार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

जिसमें आज दिनांक 30/06/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहन, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तूतीकरण किया गया । उनके द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई

- प्रकरण में डिया के पत्र क्रमांक 857/ खनिज / डिया /2018 विदिशा, दिनांक 03/10/2018 के द्वारा फर्सी पत्थर–8640 घनमीटर / वर्ष हेतू पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त हुई थी जिसकी वैधता दिनांक 21 / 09 / 2028 तक है।
- The Ministry vide OM of even number dated 14.10.2024 had inter-alia ۰ directed that all those ECs granted by DEIAAs after 12.12.2018 need to apply afresh under the EIA, 2006, while for the mining leases continuing pursuant to ECs granted by DEIAAs from 15.01.2016 up to 11.12.2018, appraisal/re-appraisal of the ECs granted by DEIAAs need to carried out by the concerned SEIAAs within three months from the date of judgment i.e. before 07.11.2024. Inability to do so would lead to such mining leases being not allowed to operate, as the ECs in such cases would be considered as illegal.
- Subsequently, the Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 12.11.2024 in Civil Appeal Nos. 3799-3800/2019 in the matter of Union of India Vs. Rajiv Suri, inter-alia held that:

"...We have heard the learned counsel for the parties at some length. Keeping in view the peculiar facts and circumstances of the present case, we extend the time for completion of re-appraisal by the State Environment Impact Assessment Authorities till 31.03.2025. This direction will apply in the cases where the Environment Clearance is valid, as mining activity can only continue during the period of validity of the EC.

PP submitted H'ble Supreme Court order (CIVIL APPEAL NO(S). 3799-3800/2019) wherein It is stated that the interim order is effective till 26.05.2025 only. Since we are adjourning the matters, we are extending the interim order till the next date of hearing. List the matters in the week commencing 28.07.2025.

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 806thMEETING

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	राजीव शर्मा पुत्र श्री गजेंद्र शर्मा	
नाम व पता	्र ग्राम एवं तहसील पठारी, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(निजी भूमि –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.130 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम -रामगढ़, तहसील - पठारी, जिला - विदिशा (मध	-यप्रदेश)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिश	ा के पत्र क्रमांक 1080/
	खनिज / उ.प. /2016 विदिशा, दिनांक 23/08/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	यह फर्सी पत्थर खदान है इसलिए ब्लास्टिंग का प्रस्त	ाव नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	डिया द्वारा ईसी प्राप्त (नया प्रोजेक्ट) ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 857/ खनिज / डिया /2018 विदिशा, दिनांक 03/10/2018 के द्वारा फर्सी पत्थर—8640 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं है	
उत्पादन क्षमता	8640 घनमीटर / वर्ष (फर्सी पत्थर)	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 1634/(खनिज/2023 विदिशा, दिनांक 27/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित नहीं / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा .के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1634/(खनिज/2023 विदिशा, दिनांक 27/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति		

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 806thMEETING

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू	
का अनापात्त	/पंचा/2017 दिनांक 24/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन्	
	कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
केशर की स्थिति	उक्त खदान फर्सी पत्थर की है, क्रेशर की आवश्यकता नही है ।	
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण :- पेड नही है ।	
पतनान रिस्थात	• यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण :- नही है ।	
	• काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या :-	
	नही है ।	
	 यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जाना है तो 	
	उसका विवरण :- नही है ।	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान		
स्थिति खदान के 500 मी.	स्थित है	
की परिधि में स्थित		
संवेदनशील घटकों (जैसे		
प्राकृतिक नाला, नदी, नहर,	दक्षिण दिशा – 1.028 किमी. की दुरी पर ग्राम रामगढ़ स्थित है	
आबादी कच्ची एवं पक्की		
सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान		
स्वल इत्यादि) का खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं		
माननीय एनजीटी के उक्त		
स्थानवार मापदण्ड छोडते		
हुये सरफेस मेप को के		
साथ प्रस्तुत करें ।	पश्चिम दिशा – 155 मीटर की दुरी पर पक्की सड़क	
प्रस्तावि खदान की जिला	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 56 के सरल क्रमांक–68 पर दर्ज है ।	
जन सुनवाई		
	उपरोक्त प्रकरण B-2 Category का होने के कारण जन सुनवाई के	
	अंतर्गत नहीं 🛛 ता है ।	

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	पूर्ण है एवं इसके जियोटेग फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर	<u> </u>

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 806thMEETING

वृक्षारोपण	\$
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	नहीं पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 300 पेड़ लीज में एवं परिवहन मार्ग में लगाये हैं एवं 200 फलदार पेड़ आस—पास के ग्रामों में वितरित किये गये हैं एवं इसके जियोटेग फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत ग्राम–रामगढ़ के प्राथमिक स्कूल में फर्नीचर एवं बच्चों के लिये गणवेश प्रदान किया गये परन्तु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निर्णय लिया कि निम्न पुनरिक्षित ईएमपी एवं सीईआर योजना के साथ प्रकरण को पुनः सेक की 741वीं बैठक 25/04/2024 प्रकरण को सिया को अनुशंसित के अनुरूप अनुशंसित किया जाता है, शेष शर्तें यथावत रहेगीं।

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 8640 घनमीटर प्रति वर्ष है ।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.48 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 50,000/- तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम रामगढ़ में शासकीय विद्यालय का अधोसंरचना विकास	50,000.00

 वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

9. <u>Case No 11210/2024 Shri Ramniwas Kushwah, Owner, R/o Near Penchvalley</u> <u>School, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)-480441, Prior Environment</u>

<u>Clearance for Sajkuhi Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11970 cum per year) (Khasra No. 341/2, 341/3), Village-Sajkuhi, Tehsil-Tamia, District-Chhindwara (MP) [436101] [DEIAA] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0</u>

प्रकरण सेक की 806वीं बैठक दिनांक 30/06/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

- Earlier this case was discussed in 745th SEAC Meeting dated 30-04-2024, 766th SEAC Meeting dated 08-06-2024, wherein EC was recommended.
- The case Referred Back to SEAC in 883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025

883rd SEIAA meeting dated 20/04/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 766 वी बैठक दिनांक 08.06.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 854-बी वी बैठक दिनांक 27.05. 2024 में लिय गये निर्णय के परिपालन मे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति SEAC की 766 वी बैठक दिनांक 08.06.2024 निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया और पाया कि लीज क्षेत्र की दक्षिणी ओर कच्ची सड़क लगी हुई है एवं पूर्व दिशा में 100 मीटर पर 🛛 बादी परिलक्षित हो रही है, जिसके संरक्षण के परियोजना प्रस्तावक ने बातया कि 🛛 बादी से 100 मीटर का सेटबैक एवं कच्ची सड़क से 50 मीटर (सिया के 694वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के बिंदु कमांक 4 में लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार) सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1.37 हे. नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड कर उसमें वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इसके पश्चात् खनन् योग्य रकबा 0.63 हे. उपलब्ध होता है, के 🗅 धार पर समिति अपनी पूर्व की 745वी बैठक दिना क 30/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेत् अनुश सा को यथावत रखने का निर्णय लेती है। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

- 1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के D धार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुD परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MOEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।
- 2. अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान का रकबा 1.0 हेक्टेयर अंकित है जबकि प्रस्तावित खदान 2.0 हे. की स्वीकृत है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि यह प्रकरण परिवेश पोर्टल–1 का है, जिसमें सिया द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक एडीएस जारी किया जाये ।

- 10. <u>Case No 10738/2023 Shri Praveen Patel, Lessee, R/o Village-Mehatwada, Tehsil-Javar, District-Sehore (MP)-466118, Prior Environment Clearance for Amlataj Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 2176, 2177), Village-Amlataj, Tehsil-Hatpiplya, District-Dewas (MP) [436264] [DEIAA] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0</u>
 - Earlier this case was discussed in 723th SEAC Meeting dated 16-02-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के 1 धार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के 1 गे भी खुदा हु। परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बिरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन ADS के माध्यम से प्रस्तुत पत्र के माध्यम से लेख किया गया कि "पूर्व की खदान

होने के कारण उक्त क्षेत्र के सीमा चिन्ह कई जगह से हट गए जिस कारण उत्खनिपट्टे से बाहर भूलवश की गयी खुदाई परिलक्षित हो रही है। हम यह 1 श्वासन देते है कि उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन क्षेत्र का पुनर्भरण कर दिया जावेगा एवं भविष्य में इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावेगा।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में जानबूझकर खुदाई की गई एवं कलेक्टर बड़वानी का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण उपरोक्त के दृष्टिगत लीज क्षेत्र के बार खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण करवाए जाने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सहित स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30 / 06 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव ऑनलाईन, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । जिसमे निम्नानुसार सिया द्वारा चाही गई जानकारी के अनुक्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया—

प्रस्तुतिकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर देवास का पत्र क्रमांक 64/खनिज /2024–25 दिनांक 10–01–2025 प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेख है कि खदान के निरक्षिण के दौरान यह पाया गया कि पश्चिम दिशा की ओर परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा अपनी निजी भूमि सर्वे क्रमांक 2179/1 रकबा 0.

40 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 2178/1 रकबा 0.36 हेक्टेयर क्षेत्र के अंशभाग में फसलों की सिंचाई हेतु तलाई का निर्माण ग्राम पंचायत आमलाताज से अनुमति प्राप्त कर किया गया था। निरिक्षण के दौरान तलाई भाग को छोड़कर स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही उत्खनन होना पाया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन खोदे जाने के सम्बन्ध में जानकारी नहीं होना बताया गया। बैरियर जोन की खुदाई होने पर अवैध उत्खनन होना तथा बैरियर जोन 7.5 मीटर छोड़े जाने के सम्बन्ध में म.प्र गौड़ खनिज नियम 1996 के नियम 30 उत्खनिपट्टे की शर्ते एवं नियम 42 खनन संक्रियाए के अनुसार अवैध उत्खनन की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत आमलाताज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर बैरियर जोन में मिटटी ओवरबर्डन से भरण किया जाकर रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा फोटोग्राफ्स अक्षांश दशांश के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए।

प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर समिति ने पाया कि स्वीकृत उत्खनिपट्टे क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र निजी भूमि पर तलाई निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर खोदा गया था एवं उत्खनिपट्टे क्षेत्र के खुदे हुए बैरियर जोन का परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी व् ओवरबर्डन से पुनर्भरण किया गया एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया जिसके फोटोग्राफ्स अक्षांश दशांश सहित प्रस्तुत किये जिनका समिति द्वारा गूगल पर मिलान किया गया जो कि सही जगह पर पाए गए।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण हेतु कार्यालय कलेक्टर देवास द्वारा जारी नवीन एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1421 दिनांक 09–06–2025 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उत्खनिपट्टे के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर कोई अन्य उत्खनिपट्टा नहीं है ।

अतः समिति में चर्चा के दौरान प्रस्तुत जानकरी एवं दस्तावेज संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाए गए जिनके आधार प्रकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है एवं पूर्व में सेक की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/2024 की अन्य अनुशंसित शर्ते यथावत रहेंगी ।

11. <u>Case No 11111/2023 SHRI BALRAM BANJARA, R/o Village -Kundkheda,</u> <u>Tehsil- Manasa, District- Neemuch (MP)- 458110 Prior Environment Clearance</u> <u>for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 433),</u> <u>Village-Khetpaliya, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP) [437582] [DEIAA]</u> <u>(Reffered Back B2) Parivesh 1.0</u>

प्रकरण आज सेक की 806वीं बैठक दिनांक 30 / 06 / 2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

- 12. <u>Case No 10737/2023 Shri Praveen Rathod, Lessee, R/o Village-Pisnaval, Jhopali,</u> <u>District-Barwani (MP)-451666, Prior Environment Clearance for Pisnawal</u> <u>Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (M-Sand-4000, Gitti-3000 cum per year)</u> (Khasra No. 397), Village-Pisnaval, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP) [438338] [DEIAA] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0
 - Earlier this case was discussed in 723th SEAC Meeting dated 16-02-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025

881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के 1 धार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के 1 गे भी खुदा हु। परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर बड़वानी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन ADS के माध्यम से प्रस्तुत पत्र के माध्यम से लेख किया गया कि "पूर्व की खदान

होने के कारण उक्त क्षेत्र के सीमा चिन्ह कई जगह से हट गए जिस कारण उत्खनिपट्टे से बाहर भूलवश की गयी खुदाई परिलक्षित हो रही है। हम यह 1 श्वासन देते है कि उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन क्षेत्र का पुनर्भरण कर दिया जावेगा एवं भविष्य में इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावेगा।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में जानबूझकर खुदाई की गई एवं कलेक्टर बड़वानी का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण उपरोक्त के दृष्टिगत लीज क्षेत्र के बार खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण करवाए जाने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सहित स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30 / 06 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव ऑनलाईन, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । जिसमे निम्नानुसार सिया द्वारा चाही गई जानकारी के अनुक्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया—

प्रस्तुतिकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर बड़वानी का पत्र क्रमांक 1004/खनिज/2024 दिनांक 18–12–2024 प्रस्तुत किया गया जिसमे उल्लेख है कि:

सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के सम्बन्ध में खनिज निरीक्षक बड़वानी एवं तहसीलदार सेंधवा से जांच कराई गयी। जांच के उपरांत खनि निरीक्षक बड़वानी का प्रतिवेदन दिनांक दिनांक 25–10–2024 अनुसार श्री प्रवीण राठौर आत्मज श्री रमेशचंद्र राठौर , निवासी पिसनावल , तहसील सेंधवा जिला बड़वानी द्वारा ग्राम पिसनावल, तहसील सेंधवा जिला बड़वानी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 397 रकबा 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र (बेरियर जोन) की पूर्व दिशा में खदान क्षेत्र से बाहर खनिज बोल्डर का अवैध उत्खनन किये जाने पर पट्टेदार पर शास्ति 79000/– (उन्यासी हजार) रुपए आरोपित किया गया। पट्टेधारी द्वारा शास्ति 79000/– (उन्यासी हजार) रुपए ऑनलाइन CRN no 085308112024000101 से दिनांक 08–11–2024 को जिला बड़वानी के खनिज मद में जमा कर दी गयी है। साथ ही पट्टेधारी द्वारा बैरियर जोन में उत्खनन किये जाने से पट्टेधारी द्वारा बैरियर जोन का पुनर्भरण कर पौधा रोपण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किये गए उत्खनन के सम्बन्ध में कार्यालय कलेक्टर बड़वानी द्वारा प्रकरण बनाकर कार्यवाही की गयी एवं उत्खनिपट्टे क्षेत्र के खुदे हुए बैरियर जोन का परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी व ओवरबर्डन से पुनर्भरण किया गया एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया जिसके फोटोग्राफ्स अक्षांश दशांश सहित प्रस्तुत किये जिनका समिति द्वारा गूगल पर मिलान किया गया जो कि सही जगह पर पाए गए।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बड़वानी द्वारा जारी नवीन एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 921 दिनांक 06–06–2025 प्रस्तुत किया गया

जिसके अनुसार उत्खनिपट्टे के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर कोई अन्य उत्खनिपट्टा नहीं है ।

अतः समिति में चर्चा के दौरान प्रस्तुत जानकरी एवं दस्तावेज संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाए गए जिनके आधार प्रकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है एवं पूर्व में सेक की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/2024 की अन्य अनुशंसित शर्ते यथावत रहेंगी ।

- 13. <u>Case No 10463/2023 Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. 3,</u> <u>Panjhreh Bazar , District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment</u> <u>Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18169 cum per</u> <u>year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [438360] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0</u>
 - Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025

SEAC in 881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया:-

SEAC द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हु। है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु। में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Syed Iqtadar Tanweer M/s. Ultra Tech Environmental Consultancy, Laboratory, Thane (Maharastra) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । जिसमे निम्नानुसार सिया द्वारा चाही गई जानकारी के अनुक्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया–

प्रस्तुतिकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के अनुक्रम में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह वर्ष 2011 से खुदा है, एवं इसकी पुष्टि गूगल ईमेज से की जा सकती है तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्ज है तथा हमे यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की वर्तमान स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।

- 14. <u>Case No 10577/2023 Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [438856] [DEIAA] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0</u>
 - Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025

881rd SEIAA meeting dated 26/03/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नान्सार पाया गया :-

SEAC द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हु। है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MOEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु। में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Syed Iqtadar Tanweer M/s. Ultra Tech Environmental Consultancy, Laboratory, Thane (Maharastra) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । जिसमे निम्नानुसार सिया द्वारा चाही गई जानकारी के अनुक्रम में विवरण प्रस्तुत किया गया—

प्रस्तुतिकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा सिया द्वारा चाही गयी जानकारी के अनुक्रम में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हु। है के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 25/09/2015 जारी हुई है, एंव बैरियर जोन में खनन् का कार्य होने का माईनिंग प्लान में उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण में समुचित कार्यवाही एवं जवाब के लिये समय देने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा खनन कार्य बैरियर जोन एवं बैरियर जोन के बाहर भी पाया गया है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस प्रकरण में जिला कलेक्टर से प्रमाणित जानकारी ली जाये, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण विचार किया जावेगा।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTESOF30th June , 2025806th MEETING00

- 15. <u>Case No 10579/2023 Smt. Sheela Patle, Proprietor, M/s Narmada Mining</u> <u>Corporation, Harka Niwas, Narmada Colony, Dada Dhaniram Ward, Aangan</u> <u>Tiraha, Maharajpur, District-Mandla (MP)-481665, Prior Environment</u> <u>Clearance for Katamal Dolomite Quarry in an area of 4.54 ha. (97200 TPA)</u> <u>(Khasra No. 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 741), Village-Kata Mal., Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP) [440140] [DEIAA] (Query <u>Reply B2) Parivesh 1.0</u></u>
 - Earlier this case was discussed in 710th SEAC Meeting dated 05-07-2024 wherein following query were raised.
 - पुराने पिट दर्शातें हुये एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर क्रशर लगा हुआ है, अतः उसे अन्यत्र शिफ्ट करते हुये लोकेशन पुर्नरक्षित सरफेस मेप में प्रस्तुत करें।
 - 2. ग्राम सभा की वर्तमान एनओसी प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 30 / 06 / 25 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :--

- पूर्व में प्रश्नाधीन खदान श्री नीलेश राय से श्रीमती शीला पटले को दिनांक 16 / 02 / 2023 हस्तांतरित हुई है।
- खदान क्षेत्र का डीजीपीएस सर्वे कराकर नई खनन योजना संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा अनुमादित कराकर प्रस्तुत की है।
- यह प्रकरण उत्खनि पट्टा अंतरण का है अतः पूर्व में दिनांक 20 / 10 / 2015 प्राप्त की गई ग्राम पंचायत एनओसी प्रस्तुत की है।

समिति ने प्रतुतीकरण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

- 1. अनुसूचित जनजाति भू-स्वामित्व होने से सक्षम प्राधिकारी का सहमति पत्र।
- 2. ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति / अभिमत प्राप्त की जावे ।
- 3. लीज क्षेत्र का सीमांकन राजस्व विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।

16. <u>Case No 10659/2023 Shri Ajay Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Garhi (Malhera) 3 Pyrophyllite & Diaspore Mine in an area of 2.791 ha. (5396 TPA) (Khasra No. 303, 304, 305/2, 306), Village-Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur (MP) [441179] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0</u>

प्रकरण आज सेक की 806वीं बैठक दिनांक 30 / 06 / 2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा । 17. <u>Case No 11068/2023 Shri Rahul Patwala, Lessee, R/o 72, Sukh Niwas, Rau</u> <u>Rangwasa, District-Indore (MP)-453331, Prior Environment Clearance for</u> <u>Bedavanya Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (52250 cum per year) (Khasra</u> <u>No. 261/1), Village-Berawanya, Tehsil-Khancharod, District-Ujjain (MP)</u> [449142] [DEIAA] (Query Reply B2) Parivesh 1.0

Earlier this case was discussed in 739th SEAC Meeting dated 23-04-2024 wherein following query were raised.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30 / 06 / 2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाईन, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

- खदान क्षेत्र की रॉक ब्रेकर आधारित पुनरीक्षित खनन योजना क्षेत्रीय प्रमुख, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्दौर द्वारा दिनांक 24 / 10 / 2024 को अनुमादित कराकर पोर्टल पर प्रस्तुत की है।
- लीज क्षेत्र से एक पक्का रोड उत्तर दिशा में 07 मी. की दूरी पर स्थित है अतः 100 मी. तक गैर खनन क्षेत्र (2.10 हे.) छोड़ा गया है एवं इस क्षेत्र में पौधारोपण प्रस्तावित है।
- क्रेशर लीज क्षेत्र के अन्दर है एवं लीज क्षेत्र की सीटीओ प्राप्त है।
उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति ने प्रतुतीकरण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

 डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTESOF30th June , 2025806th MEETING00

- 18. <u>Case No 11104/2023 SMT. LATA MERAWAT, R/o Gram Khachartodi, post-</u> <u>Panchkui, khachhartodi, District- Jhabua (MP)-457779 Prior Environment</u> <u>Clearance for Stone Mine in an area of 1.80 ha. (5700 cum per year) (Khasra No.</u> <u>38), Village-Bheem Faliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP) [451962]</u> [DEIAA] (Reffered Back B2) Parivesh 1.0
 - Earlier this case was discussed in 765th SEAC Meeting dated 07-06-2024 wherein EC was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 883th SEIAA meeting dated 24/04/2025

883th SEIAA meeting dated 24/04/2025:-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेत् अन्शंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नान्सार पाया गया:-

SEAC द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हु। है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु। में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 30th June , 2025 806thMEETING

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 30 / 06 / 25 को रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

Chronology of the project

S.No.	Particulars	Date	
1.	Previous Sanctioned of lease	The previous lease sanctioned through collector office, Jhabua vide letter no. Khanij-2/2010/717, date 26/07/2010 for period 10 Year (03.08.2010 to 02.08.2020)	
2.	1 st Renewal	The renewal lease sanctioned through collector office, Jhabua vide letter no. 7100- 01/ Khanij/N.K.01/U.P./Group-01/2021 Bhopal dated 17/06/2021 in this context deed was executed on dated 05.07.2021 for 10 years i.e.03.08.2020 to 02.08.30(10 years)	
3.	EC grant Date	DEIAA case no. 20/2016. Letter na. 51/DEIAA/2016, Jhabua, Dated- 31/05/2016	
4.	Parivesh Submission date	20/12/2023	
5.	Case Recommended by SEAC	Case recommended by SEAC in 765 th SEAC Meeting dated- 07/06/2024.	
6.	Case Sent to SEAC by SEIAA	Case sent to SEAC for reexamination in 883 SEIAA meeting dated 24-04-2025.	
	Area as per EC	2.0ha.	
5.	Old excavated pit information	$7,500 \text{m}^2 \text{x} 5.6 \text{m} \text{Depth}=42,000 \text{cum}$	

 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के खुदे हुए 7.5 मीटर बैरियार जोन का पुनः भारण कर दिया गया है। इस हेतु शपथ पत्र एवं जियोटेग्स फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं।

समिति ने प्रतुतीकरण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

- 1. ग्राम सभा की पेसा संबंधी अनापत्ति/अभिमत प्राप्त की जावे ।
- लीज क्षेत्र का पुनःभरण के संबंध में जिला कलेक्टर, खनिज शाखा से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 30th June , 2025 806thMEETING

19. <u>Case No 11195/2024 Shri Rajendra Sharma S/o Shri Madan Mohan Sharma,</u> <u>Lessee, R/o 228, Colony, VTC, District-Ujjain (MP)-456010, Prior</u> <u>Environment Clearance for Karadiya (Nawakheda) Soil Quarry in an area of</u> <u>2.670 ha. (5500 cum per year) (Khasra No. 256, 257), Village-Nawakhera, Tehsil-</u> <u>Ujjain, District-Ujjain (MP) [452263] (Query Reply B2) Parivesh 1.0</u>

• Earlier this case was discussed in 744th SEAC Meeting dated 29-04-2024 wherein following query were raised.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के. एम.एल. ईमेज / कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को—आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन—लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/06/2026 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रदीप लोधी मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. (ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई :—

- उक्त प्रकरण मे अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं अनुमोदित DSR के को। ईिनेट में भिन्नता के कारण ADS किया गया था।
- DGPS रिपोर्ट अनुसार को। र्डिनेट एवं क्षेत्र अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार क्षेत्र एवं कोऑर्डिनेट से मिलान करते है।
- अतः समिति से अनुरोध है कि DGPS रिपोर्ट के को। र्डिनेट एवं माइनिंग प्लान के को। र्डिनेट में एकरूपता होने के कारण उक्त प्रकरण को रिप्रेसल की अनुसंशा की जाना उचित होगा।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTESOF30th June , 2025806th MEETING00

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई । पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में कार्यालय वन मण्डल, उज्जैन के माध्यम से फलदार एवं अन्य वृक्ष जैसे—नीम, जामुन, कटहल, जामफल, बॉस, पीपल, अनार आदि विभिन्न प्रजातियों के 3500 पौधों का रोपण कर क्षिप्रा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट बनाकर पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान दिया है एवं कार्यालय ग्राम पंचायत ढेंडिया, उज्जैन का पत्र क्रमांक 06 / 02 / 2024 के माध्यम से प्रस्तुत किया कि 3500–4000 पौधे लगाये गये हैं।

समिति ने प्रतुतीकरण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :--

- जिला खनिज अधिकारी से संशोधित कोआर्डिनेट (DGPS Co-oridates) प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
- डिया से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति के अन्तर्गत फेन्सिंग, बैरियर जोन की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर अन्तर्गत कार्यों का प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTESOF30th June , 2025806thMEETING00

- 20. <u>Case No 9664/2024 Shri Nitish Chaturvedi, Owner, R/o 6 Km Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Luhani Rock Phosphate Mine in an area of 13.20 ha. (Proposed capacity expansion 100000 TPA to 200000 TPA) (Khasra No. 1008, 1007, 1005/1, 1005/2, 1006, 1003/1, 1003/2, 1002, 1001, 984, 979, 980, 978, 975, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12), Village-Luhani, Tehsil-Bakswaha, District-Chhatarpur (MP) [415515] (Query Reply TOR) Parivesh 1.0</u>
 - Earlier this case was discussed in 624th SEAC Meeting dated 26-02-2023 wherein following query were raised.

The case was scheduled for the presentation wherein it was observed by committee that PP vide letter dated 30/06/2025 has submitted a request for withdrawal of their application. Committee after deliberations decided that on the request of PP case may be considered for withdrawal and same may be sent to SEIAA for onward necessary action.

- 21. <u>Case No 11197/2024 Shri Roop Kachchhal, Owner, R/o Bass Gadi Kuw, District-Nagaur (RJ)-341001</u> Prior Environment Clearance for Fusariya Stone for M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 1248), Village-Fusariya, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP) [453823] (Reffered Back TOR) Parivesh 1.0
 - Earlier this case was discussed in 744th SEAC Meeting dated 29-04-2024 wherein ToR was recommended.
 - The case Referred Back to SEAC in 854th-B SEIAA meeting dated 27/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 744वी बैठक दिनांक 29.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की. गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 20 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के अन्तर्गत टॉर का प्रकरण है, जिसमें आज दिनांक 30.06.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, ऑनलाईन, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट, उदयपुर (राजस्थान) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना में ब्लास्टिंग का प्रस्ताव दिया हैं। अतः पी.पी. को यह अवगत कराया गया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये नॉन ब्लास्टिंग प्रस्तावित किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्ती व निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति की 744वीं बैठक दिनांक 29 / 04 / 2024 अनुशंसा यथावत प्रस्तावित है :--

- नॉन–ब्लास्टिंग संक्रिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें।
- गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 20 मीटर की दूरी पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है यदि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तो माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड छोड़तें हुये अनुसार संशोधित कर सरफेस प्लान प्रस्तुत करें।
- अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :-
- Member Secretary SEAC informed that fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- Member Secretary, SEAC shall forward the cases to MPPCB for necessary action/comments till arrangement are not made available on Parivesh Portal in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025.

(ए.ए.मिश्रा) सदस्य सचिव (राकेश कुमार श्रीवास्तव) अध्यक्ष

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 806thMEETING

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 38. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 39. कशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- 1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका
 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
- 39. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- 40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES 806thMEETING

- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - √

roposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

ctivities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

✓

o fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

·

PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

omprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :- पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- **नोट 5** :-- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :-- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन∕नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03—05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 - 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- े स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई ∕ जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

रु

OF

• सीड—बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

-		
1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट
	बीजअगेव आदि)	पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15
	,	सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाडी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छटवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति
	3	में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- - ादान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह व्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे